न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 80/2021

प्रहलाद सिंह पूनिया पुत्र श्री तुलाराम जाट, निवासी ग्रा0पो0 कुहाडवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं पिनकोड 333031, मो0न0 9413475054

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 10.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 80/2021 पर दिनांक 10.05.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /1645–46 दिनांक 10.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2021/125 दिनांक 02.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रहलाद सिंह पूनिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना हेतु कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/122–123 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा दी जा चुकी है जिसमे जमाबन्दी व नक्शा हेतु शुल्क जमा करवाने बाबत भी लिखा गया है। श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर झुंझुनूं का पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/146 दिनांक 29.04.2021 जो दिनांक 04.05.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसका जबाब कार्यालय पत्रांक आरटीआई/2021/122–123 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/125 दिनांक 02.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रहलाद सिंह पूनिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना हेतु कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/122–123 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा दी जा चुकी है जिसमे जमाबन्दी व नक्शा हेतु शुल्क जमा करवाने बाबत भी लिखा गया है। लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर झुंझुनूं का पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/146 दिनांक 29.04.2021 जो दिनांक 04.05.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसका जबाब कार्यालय पत्रांक आरटीआई/2021/122–123 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/06/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं